न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—104/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/104)

1. श्रीमती भंवरी पत्नि श्री पन्ना, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मण्डियानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री किशना पुत्र स्व0 श्री बालू जाति गुर्जर (स्वर्गवास)
   1/1 शिवराज
   1/2 श्रवण
   1/3 मेवा
   1/4 रंगलाल पुत्रगण स्व0 श्री किशना
   1/5 श्रीमती सुवा (फौत)
   1/6 श्रीमती सुगनी
   1/7 श्रीमती गीता
   1/8 श्रीमती बन्नी पुत्रीयां स्व0 श्री किशना निवासी मण्डियानी तहसील नसीराबाद।
2. श्री हमीरा मुतबन्ना हीरा जाति गुर्जर निवासी मण्डियानी तहसील नसीराबाद।
3. श्रीमती छोटी पत्नि रामचन्द्र गुर्जर जाति गुर्जर
4. अमरचंद पुत्र रामचन्द्र गुर्जर जाति गुर्जर
5. राजू पुत्र रामचन्द्र गुर्जर जाति गुर्जर
   हाल निवासी पंचशील (केरिया) माकडवाली रोड अजमेर।
6. धर्मेन्द्र पुत्र काना जाति गुर्जर
7. नौसर पुत्री काना जाति गुर्जर
   हाल निवासी गणेशगढ शास्त्री नगर, लोहागल रोड, अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 19/2011

उपस्थितः—

1. श्री एन0के0जैन अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुमित जैन, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3 से 7
3. श्री विकास पराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 8
4. रेस्पोडेंट संख्या 1/2 से 1/4, 1/6 से 1/8 अनुपस्थित
5. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 व 2 स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः—21.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 19/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांटगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावे व जवाब दावे के आधार पर दो तनकीयां निर्मित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयां वादी/अपीलांटगण के विरूद्ध तय किए जाने से प्रकरण का निर्णय दिनांक 26.03.2021 को किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 19/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1/2 से 1/4, 1/6 से 1/8 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि अपीलाधीन भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां कि जिनका विवरण निम्नानुसार है कि जिन्हे अपील पत्रावली के रिकार्ड पर लिए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत है। प्रमाणित प्रति खतौनी बंदोबस्त जमाबंदी, प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2016—2019, प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2016—2019, मिलान क्षेत्रफल चौसाला जमाबंदी से वर्किंग जमाबंदी का, मिलान क्षेत्रफल चौसाला जमाबंदी से वर्किंग जमाबंदी का वर्णित दस्तावेज जो कि अपीलाधीन भूमि से ही संबंधित है, राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां है, संदेह से परे हैं सुसंगत दस्तावेज है आवेदनकर्तागण को आवेदन पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित दस्तावेज जो कि उक्त अपील प्रस्तुत करने के पश्चात ही प्राप्त हुए इस कारण अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जिन्हें अपील पत्रावली के रिकार्ड पर लिए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर बतौर साक्ष्य शुमार फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलांट ने संबंधित भूमि के संबंध में जो राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है उसकी जानकारी वादी/अपीलांट को प्रथम दिन से ही थी और यह चूंकि राजस्व रिकार्ड है कि अपने आपमे सार्वजनिक दस्तावेज है जिसकी प्रतिलिपी कोई भी व्यक्ति नियमानुसार शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। अपीलांट/वादी ने ऐसा कोई कारण नहीं लिखा

जिसकी वजह से इस रिकार्ड को अपीलांट/वादी ने उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया हो। ऐसा कोई दस्तावेज जिसकी जानकारी वादी को दावा करते समय नहीं हो तो उस परिस्थिति में न्यायालय उसको रिकार्ड पर ले सकती है एवं दूसरी परिस्थिति ऐसा दस्तावेज जिसको निचली अदालत अर्थात उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ने रिकार्ड पर लेने से इंकार कर दिया हो तो ही आदेश 41 नियम 27 के तहत अपीलीय न्यायालय को प्रदर्शित नहीं किया गया है इसलिए नियमानुसार न्यायालय कानूनी कार्यवाही में इस दस्तोवज को पढ ही नहीं सकते है। अपीलांट द्वारा यह दस्तावेज मात्र अपील के डिस्पोसल में देरी करने के उददेश्य से प्रस्तुत किए गए है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि जिसके खातेदार शोराम पुत्र चौथू जाति गुर्जर थे कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस हीरा, गोकल, सूजा, नारायण, गोदू व जवारा कि इनमें से जवारा लाऔलाद फौत हो चुका था तथा श्री गोदू पुत्र शोराम के वारिसान अपीलार्थीगण है तथा श्री शोराम पुत्र चौथू के द्वारा धारित भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 76 बीघा 1 बिस्वा कि जिसके चौसाला खतौनी संख्या 165, 166, 167 कि जिनके खसरा नम्ब 332, 842/1, 842/2, 543, 841/5, 542, 841/2, 544, 841/4, 545, 841/3 एवं 841/1 कुल किता 11 कि जिनका कुल क्षेत्रफल 76 बीघा 1 बिस्वा की भूमि जो श्री शोराम पुत्र चौथू जाति गुर्जर की खातेदारी की भूमि थी कि जिनका श्री शोराम पुत्र चौथू के वारिसान हीरा, गोकल, सूजा, नारायण व गोदू के मध्य आपसी पारिवारिक बंटवारा हो चुका था कि जिसके अनुसार श्री हीरा पुत्र शोराम का भी 1/5 हिस्सा की भूमि प्राप्त हुई थी, श्री हीरा पुत्र शोराम के द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अपीलाधीन भूमि कि जिसे श्री बालू व काना पुत्रगण श्री कल्ला को बेचान कर कब्जा काश्त संभला दिया गया तथा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसार भू–अभिलेख में बालू व काना पुत्रगण कल्ला के नाम दर्ज कर दी गई तथा काना पुत्र कल्ला के द्वारा अपीलाधीन भूमि कि जिसे श्री किशना पुत्र बालू को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के बेचान कर कब्जा संभला दिया गया तदनुकूल श्री किशना पुत्र बालू के द्वारा अपीलाधीन भूमि कि जिसे जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के वादीया को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया, इस प्रकार अपीलाधीन भूमि कि जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किशना पुत्र बालू के द्वारा उक्त अभिकथन के अनुसार वादीया को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के बेचान की जा चुकी थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हमीरा मुतबन्ना हीरा का अपीलाधीन भूमि में किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार निहित ही नहीं रहा कारण कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हमीरा मुतबन्ना हीरा के पिता हीरा पुत्र शोराम के द्वारा ही इस पैरा में वर्णितानुसार अपीलाधीन भूमि कि जिसे वादीया को बेचान की जा चुकी थी, इस संदर्भ में प्रतिवादीगण के द्वारा भी इन तथ्यों को

जवाब दावे के अनुसार स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वादीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के प्रतिकूल अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद पत्र में विवाद बिन्दु संख्या 1 आया वादग्रस्त आराजी वादीया की विधिक क्रयशुदा होने से वादीया खातेदारी प्राप्ति की अधिकारिणी है, इस विवाद बिन्दु के संदर्भ में अपील के पैरा संख्या 2 में वर्णित अभिवचन के अनुसार प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता खातेदार हीरा पुत्र शोराम के द्वारा ही जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के बालू व काना पुत्रगण कल्ला को बेचान कर कब्जा संभला दिया तथा काना पुत्र कल्ला के द्वारा अपीलाधीन भूमि कि जिसे किशना पुत्र बालू जो कि प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के बेचान कर कब्जा संभला दिया गया तथा किशना पुत्र बालू के द्वारा अपीलाधीन भूमि कि जिसे जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के वादीया को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया, पंजीबद्ध विक्रय पत्र आज दिवस तक प्रभाव में है, ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज कर विवाद बिन्दु संख्या 1 का जो निर्णय किया गया विधि विरूद्ध है, इसी प्रकार विवाद बिन्दु संख्या 2 आया विक्रय पत्र फर्जी होने से वाद खारिज योग्य है, इस संदर्भ में वादीया के पक्ष में पंजीबद्ध विक्रय पत्र फर्जी हो के संदर्भ में प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य सबूत ही प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि अपील के उपरोक्त पैरा में अभिवचन के अनुसार वादीया के पक्ष में किया गया हिस्सा ग्राम मंडियाणी तहसील नसीराबाद स्थित भूमि जो कि अपील के उपरोक्त पैरा में उल्लेखित अनुसार जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 1.4.1974 के अपीलार्थीया के द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर आज दिवस तक दिनांक 1.4. 1974 से निरन्तर बिना किसी दखल व व्यवधान के कि जिसकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 को भी सम्पूर्ण विधिवत जानकारी थी एवं रही, ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा कि जिसमें यह तथ्य स्वीकार किए कि विवादित भूमि के खातेदार हीरा पुत्र शोराम के द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के बेचान की गई थी, ऐसी अवस्था में अपीलाधीन भूमि कि जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हमीरा मुतबन्ना हीरा का कोई अधिकार ही नहीं था तथा अन्य प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 3 से 7 का भी अपीलाधीन भूमि में किसी प्रकार का कोई अधिकार, हित निहित ही नहीं है तथा इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा अपीलाधीन भूमि कि जिसका भू–अभिलेख में इन्द्राज सही हो के संदर्भ में ऐसा कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत नहीं किये गए बल्कि अपील के उपरोक्त पैरा में अंकित अभिवचन के अनुसार पंजीबद्ध विक्रय पत्र के प्रतिकूल भू–अभिलेख जमाबन्दी में जो इन्द्राज किया गया, गलत है, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जो पारित की निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 19/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि चौसाला जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजी के मूल खातेदार हमीरा मुतबन्ना हीरा, रामचन्द्र काना पि० हजारी थे। हीरा फौत होने से

नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 09.10.77 को आराजी मुतनाजा हमीरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज हुयी, तथा छीतर पुत्र सालू के बजाय रामचन्द्र, काना पुत्र हजारी के नाम दर्ज हुयी। वर्किंग जमाबंदी के अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा मूल खातेदार तत्पश्चात प्रतिवादीगण/वारिसों के नाम सही रूप से दर्ज की गयी। वर्किंग जमाबंदी में नामांतरकरण संख्या 1 व 2 भू प्रबंध विभाग ए0एस0ओ0 के द्वारा अंकन किया गया है प्रथम दृष्टया शून्य है क्यों कि बंदोबस्त विभाग को नामांतरकरण भरने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। पूर्व नामांतरकरण में गलत प्रविष्ट अंकित की गई जो हाल राजस्व अभिलेख में दुरूस्त की गई है। आराजी मुतनाजा पर वर्षों से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स/वादी ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में दो तनकीयां निर्मित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयों के आधार पर अपीलांट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 26.03.2021 में खारिज किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

उक्त विवादित आराजीयात में शोराम पुत्र चौथू के वारिसान हीरा, गोकल, सूजा, नारायण व गोदू हुए तथा जिसके अनुसार हीरा पुत्र शोराम को उक्त आराजीयात में 1/5 हिस्से की भूमि प्राप्त हुई थी हीरा पुत्र शोराम के द्वारा जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अपीलाधीन भूमि श्री बालू व काना पुत्रगण कल्ला को बेचान कर दिया तथा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसार भूअभिलेख में बालू व काना पुत्रगण कल्ला के नाम दर्ज कर दी गई तथा काना पुत्र कल्ला द्वारा भूमि कि जिसे किशना पुत्र बालू को जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र के बेचान कर दिया तदनुकुल पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.07.2005 के अनुसार किशना पुत्र बालू ने विवादित आराजीयात का बैचान श्रीमती भंवरी पत्नि पन्ना को किया गया है। उक्त विक्रय पत्र आज भी प्रभाव में है चूंकि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय से रेस्पोडेंट्स द्वारा खारिज या चैलेंज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में उनके द्वारा इस बाबत किसी प्रकार की कोई फाईण्डिंग नहीं दी गई है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र फर्जी है या नहीं बिना इस तनकी पर विस्तृत रूप से फाईण्डिंग दिए बिना ही अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण को खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दो तनकीयां निर्मित की गई परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनों तनकीयों पर रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त तनकीयों पर किसी प्रकार की कोई साक्ष्य लिए बिना केवल जवाबदावे के आधार पर उक्त तनकीयों को निर्णय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में निर्मित तनकीयों में भी इस बाबत किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादी द्वारा इस बाबत अपने जवाब दावे में कोई कथन अंकित किए गए है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किस आधार पर कुटरचित है या प्रभाव शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

बिना साक्ष्य के व बिना गुणावगुण पर फाईण्डिंग दिए पारित किया गया है, क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि प्रकरण में निर्मित तनकीयों पर साक्ष्य लिए जाते व उक्त साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयों का विस्तृत विवेचन किया जाता तो प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर अधिक स्पष्ट रूप से हो पाता किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में ऐसा नहीं कर मात्र सरसरी तौर पर दावे व जवाबदावे के आधार पर बिना साक्ष्यों के निर्णय व डिक्री पारित किया गया है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है अतः उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 19/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर उक्त तनकीयों पर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रत्येक तनकी में गुणावगुण पर फाईण्डिंग देते हुए विस्तृत रूप से पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.09.2025 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर